

प्रेषक,

लहरी यादव,
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी (संलग्न सूची के अनुसार),
उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 27 मार्च, 2018

विषय- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2017-18 में आडिट अनुशासन की 5 प्रतिशत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन को प्रेषित पत्र संख्या-8/शा0/731/2017-8/04/2015, दिनांक 20 मार्च, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 में पंचायती राज संस्थाओं हेतु व्यवस्थित धनराशि रूपये 4631.25 करोड़ में से क्षेत्र पंचायतों की धनराशि रूपये 463.125 करोड़ के सापेक्ष ए.टी.आर. में उल्लिखित संस्तुति संख्या-55 के अनुसार आडिट अनुशासन की 5% धनराशि रूपये 23,15,62,500/- (तेईस करोड़ पन्द्रह लाख बासठ हजार पाँच सौ मात्र) संस्तुति संख्या-55 के अनुसार संलग्न सूची में इंगित विवरण के अनुसार वर्ष 2015-16 तक का आडिट कराने वाली क्षेत्र पंचायतों को दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

निकाय का नाम	स्वीकृत धनराशि
क्षेत्र पंचायतें	2315.625 लाख

2- संलग्न सूची में उल्लिखित क्षेत्र पंचायतों को धनराशि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दी जा रही है।

3- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत की जा रही है:-

(1) क्षेत्र पंचायतों को को स्वीकृत की जा रही धनराशि, जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा शासनादेश के साथ संलग्न सूची में इंगित जिले के सम्मुख कॉलम-5 में वर्ष 2015-16 तक का आडिट कराने वाली क्षेत्र पंचायतों के लिये आवंटित धनराशि के अनुसार कोषागार से आहरित कर सम्बन्धित क्षेत्र पंचायतों के खाते में जमा किया जायेगा।

(2) संलग्नक के कॉलम-5 के विकास खण्डवार धनराशि आवंटित की गयी है ।

(3) क्षेत्र पंचायतों को आवंटित धनराशि का कोषागार से आहरण करने के लिये बिल पर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) धनराशि के आहरण की सूचना जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा, बाउचर संख्या व दिनांक सहित निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा और वे अपने स्तर से धनराशि के आहरण की संहत सूचना पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायेंगे।

(5) पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश स्वीकृत धनराशियों के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे।

4- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेतर-197-ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-0301-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन" के नामे डाला जायेगा।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

लहरी यादव

वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या-04/2018/बी-2-209(1)/दस-2018-2/2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- संमस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 6- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 9- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आज्ञा से,

लहरी यादव

वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-04/2018/बी-2-209/दस-2018-2/2017, दिनांक 27 मार्च, 2018 का संलग्नक

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 तक का आडिट कराने वाली क्षेत्र पंचायतों को वर्ष 2017-18 में आडिट अनुशासन की 5 प्रतिशत धनराशि का आवंटन

अनुदान संख्या - 61

3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन -

197-ब्लाक पंचायतों / मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों को सहायता -

03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन -

0301-सामान्य समनुदेशन - 28-समनुदेशन

(धनराशि लाख में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	क्र०सं०	विकास खण्ड	वर्ष 2015-16 तक का आडिट कराने वाली क्षेत्र पंचायतों को आडिट अनुशासन की धनराशि का समनुदेशन
1	2	3	4	5
1	बागपत	1	बिनौली	14.867
		2	बागपत	13.043
		3	बड़ौत	16.397
		4	पिलाना	12.214
		5	छपरौली	10.063
		6	खेकड़ा	10.349
			योग	76.933
2	फतेहपुर	1	विजयीपुर	8.422
		2	ऐरायां	7.938
		3	भिटौरा	9.182
		4	अमौली	6.699
		5	असोथर	7.238
		6	देवमई	5.879
		7	धाता	8.267
		8	हसवा	9.061
		9	हथगांम	8.303
		10	खजुहा	7.730
		11	मलवां	9.602

(धनराशि लाख में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	क्र०सं०	विकास खण्ड	वर्ष 2015-16 तक का आडिट कराने वाली क्षेत्र पंचायतों को आडिट अनुशासन की धनराशि का समनुदेशन
1	2	3	4	5
		12	तेलियानी	6.663
		13	बहुआ	7.715
			योग	102.699
3	फैजाबाद	1	मायाबाजार	34.475
		2	अमानीगंज	35.698
		3	हरिन्टगंज	29.437
			योग	99.610
4	कानपुर देहात	1	मैथा	10.488
		2	मलासा	8.659
		3	अकबरपुर	8.461
		4	सरवनखेड़ा	10.231
		5	अमरौधा	10.982
		6	सन्दलपुर	6.940
		7	डेरापुर	7.087
		8	झीझंक	8.457
		9	रसूलाबाद	13.452
		10	राजपुर	7.887
			योग	92.644
5	कौशाम्बी	1	नेवादा	14.319
		2	मूरतगंज	14.474
		3	मंझनपुर	13.066
		4	कड़ा	15.114
		5	सिराथू	20.847
			योग	77.820
6	बरेली	1	क्यारा	121.372
			योग	121.372
7	भदोही	1	भदोही	15.546

(धनराशि लाख में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	क्र०सं०	विकास खण्ड	वर्ष 2015-16 तक का आडिट कराने वाली क्षेत्र पंचायतों को आडिट अनुशासन की धनराशि का समनुदेशन
1	2	3	4	5
		2	ज्ञानपुर	11.465
		3	सुरियावा	7.587
		4	डीघ	13.293
		5	अभोली	6.457
		6	औराई	16.744
			योग	71.092
8	मिर्जापुर	11	सिटी	103.751
			योग	103.751
9	श्रावस्ती	1	इकौना	10.439
		2	गिलौला	10.688
		3	जमुनहा	11.407
		4	हरिहरपुररानी	9.022
		5	सिरसिया	10.785
			योग	52.341
10	बलिया	1	पन्दह	17.792
		2	सीयर	28.852
		3	रसड़ा	25.286
		4	सोहाव	19.593
		5	दुबहड़	20.788
			योग	112.311
11	ललितपुर	1	जखौरा (ललितपुर)	17.371
		2	बार	12.860
		3	विरधा	15.734
		4	महरौनी	12.185
		5	मड़ावरा	11.896
			योग	70.046
12	अमेठी	1	बाजार सुकुल	13.515

(धनराशि लाख में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	क्र०सं०	विकास खण्ड	वर्ष 2015-16 तक का आडिट कराने वाली क्षेत्र पंचायतों को आडिट अनुशासन की धनराशि का समनुदेशन
1	2	3	4	5
		2	शाहगढ़	6.235
		3	मुसाफिरखाना	11.163
		4	गौरीगंज	10.102
		5	जगदीशपुर	19.309
		6	संग्रामपुर	6.472
		7	तिलोई	13.111
		8	भैंटुआ	8.307
			योग	88.214
13	महाराजगंज	1	लक्ष्मीपुर	8.269
		2	धानी	2.504
		3	परतावल	8.887
		4	निचलौल	10.264
		5	घुघुली	8.076
		6	महाराजगंज	8.508
		7	सिसवां	7.979
		8	बृजमनगंज	7.962
		9	पनियरा	8.817
		10	फरेन्दा	7.918
		11	मिठौरा	9.533
		12	नौतनवां	9.852
			योग	98.569
14	एटा	1	अलीगंज	11.826
		2	अवागढ़	8.488
		3	जैथरा	9.600
		4	जलेसर	8.014
		5	मारहरा	7.580
		6	निधौली कला	9.623

(धनराशि लाख में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	क्र०सं०	विकास खण्ड	वर्ष 2015-16 तक का आडिट कराने वाली क्षेत्र पंचायतों को आडिट अनुशासन की धनराशि का समनुदेशन
1	2	3	4	5
		7	सकीट	10.099
		8	शीतलपुर	12.026
			योग	77.256
15	कुशीनगर	1	फाजिलनगर	33.237
		2	दुदही	46.854
		3	विशुनपुरा	38.814
			योग	118.905
16	देवरिया	1	पथरदेवा	109.677
			योग	109.677
17	झांसी	1	बबीना	25.233
		2	मोंठ	25.279
		3	बंगरा	26.770
			योग	77.282
18	इटवा	1	भरथना	74.539
			योग	74.539
19	सोनभद्र	1	चोपन	54.384
		2	घोरावल	48.813
			योग	103.197
20	गोरखपुर	1	कैम्पियरगीज	37.596
		2	चरगांव	27.617
		3	कौड़ीराम	24.116
		4	सहजनवाँ	20.718
		5	उरुवा	27.698
			योग	137.745
21	जौनपुर	1	जलालपुर	26.217
		2	मुफ्तीगंज	20.299
		3	मडियाहू	31.803

(धनराशि लाख में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	क्र०सं०	विकास खण्ड	वर्ष 2015-16 तक का आडिट कराने वाली क्षेत्र पंचायतों को आडिट अनुशासन की धनराशि का समनुदेशन
1	2	3	4	5
		4	बदलापुर	31.189
		5	धर्मापुर	19.083
		6	बरसठी	29.829
			योग	158.420
22	अम्बेडकरनगर	1	अकबरपुर	18.907
		2	भिटी	10.735
		3	भियाँव	13.140
		4	जलालपुर	19.828
		5	टाण्डा	17.642
		6	रामनगर	14.558
			योग	94.810
23	सिद्धार्थनगर	1	नौगढ़	92.702
			योग	92.702
24	शाहजहापुर	1	भावलखेड़ा	11.240
		2	ददरौल	6.866
		3	कांट	5.560
		4	मदनापुर	6.295
		5	जलालाबाद	7.568
		6	मिर्जापुर	5.779
		7	कलान	6.818
		8	तिलहर	5.925
		9	खुदागंज (कटरा)	5.828
		10	जैतीपुर	5.818
		11	निगोही	7.306
		12	पुवायाँ	7.211
		13	बण्डा	8.806
		14	खुटार	4.862

(धनराशि लाख में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	क्र०सं०	विकास खण्ड	वर्ष 2015-16 तक का आडिट कराने वाली क्षेत्र पंचायतों को आडिट अनुशासन की धनराशि का समनुदेशन
1	2	3	4	5
		15	सिंधौली	7.808
			योग	103.690
			कुल योग	2315.625

(रूपये तेईस करोड़ पन्द्रह लाख बासठ हजार पाँच सौ मात्र)